आयोजनागत
संख्या–992 / XXIV(8) / 2005–12 / 2005

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी, 2006

विषयः– राजकीय पालीटेक्निक कोटद्वार की कक्षाये चलाये जाने हतु अस्थासी टिन सैड़ के निर्माण के लिए वर्ष 2005–06 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1895 / नि.प्रा.शि. / प्लान– छै–34 / 2005–06 दिनांक 15.9.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटेक्निक कोटद्वार की कक्षायें सम्प्रति राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार के महिला छात्रावास में चलाये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान पर वर्कशॉप के निर्माण के लिए एक अस्थायी टिन सेड के निर्माण हेतु, शासनादेश संख्या– 416 / XXIV(8) / 2005–56 / 2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा कोटद्वार पाली0 हेतु भूमि कय योजना के अन्तर्गत आपके निर्वतन पर रखी रू0 75.00 लाख की धनराशि में से, इस पाली0 के लिए भूमि कय हेतु शासनादेश संख्या–696 / XXIV(8) / 2005–56 / 2004 दिनांक 19.10.2005 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 72,92,265 / – के पश्चात, अवशेष धनराशि रू0 2,07,735 / – (रूपये दो लाख सात हजार सात सौ पैंतीस मात्र) की धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

12– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित वित्तीय एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

13– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –02– तकनीकी शिक्षा – आयोजनागत –104–बहुशिल्प– आयोजनागत –06–कोटद्वार पालीटेक्निक हेतु भूमि कय/ भवन निर्माण–00 –24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–252/XXVII(3)/2005 दिनांक 4.1.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी पौड़ी।
3. कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।